इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2024—आश्विन 24, शक 1946

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

फा. क्र. 10-क-चार-निरर्हित-2024-203.—भारत निर्वाचन आयोग के निम्नांकित आदेशों को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

- 1. आदेश क्र. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 04 अक्टूबर 2024.
- 2. आदेश क्र. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 04 अक्टूबर 2024.
- 3. आदेश क्र. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 04 अक्टूबर 2024.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 04 अक्टूबर, 2024—12 आश्विन, 1946 (शक)

आदेश

सं. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III.—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की 150-भोपाल उत्तर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2023 अधिसूचना नं. 15-विधि निर्वा.-चार-म.प्र.-वि.स.-2023, दिनांक 21 अक्टूबर 2023 के जरिए की गई थी.

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अध्यर्थी को, निर्वाचित अध्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और यत:, 150-भोपाल उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय/निर्देश/2023-24/1032, दिनांक 25 जनवरी 2024 के जिरए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश नरवारे, जो मध्यप्रदेश विधान सभा का साधारण निवाचन 2023 के निर्वाचन क्षेत्र 150-भोपाल उत्तर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रकाश नरवारे को कारण बताओ नोटिस सं. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 19 जुलाई 2024 को जारी किया गया था; और

यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 जुलाई 2024 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जिए **प्रकाश नरवारे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल द्वारा अपने पत्र सं. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024, दिनांक 03 सितम्बर 2024 के जिरए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गए पते पर दिनांक 30 जुलाई 2024 को चस्पा किया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल द्वारा दिनांक 03 सितम्बर 2024 के पत्र सं. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024 के जिरए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 03 सितम्बर 2024 में यह बताया गया है कि प्रकाश नरवारे ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि प्रकाश नरवारे, निर्वाचन खर्ची का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और,

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है. दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरिहत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरिहत होगा.

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश राज्य के 150-भोपाल उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, प्रकाश नरवारे, 24, वाल्मीिक नगर, कबीटपुरा, भोपाल को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निर्राहित है.

आदेश से,

हस्ता./-(बिनोद कुमार) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 04th October, 2024-12 Asvina, 1946 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-150-2024-CEMS-III.—whereas, the General Election to 150-Bhopal Uttar Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023 was announced by Notification No. 15 विधि निर्वा.—चार. म.प्र.-वि.स.-2023, dated 21st October 2023.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

whereas, the result of the said election along with **150-Bhopal Uttar** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 3rd December 2023. Hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2nd January, 2024; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, **Bhopal**, Madhya Pradesh and forwarded by the Deputy Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide their letter No. 10-क/चार/निर्वायय/निर्देश/2023-24/1032, dated 25th January 2024, **Prakash Narvare**, a contesting candidate from **150-Bhopal Uttar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh in General Election to Legislative Assembly 2023, has failed to lodge account of his Election Expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Bhopal, Madhya Pradesh and the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh a Show-Cause Notice, 76-MP-LA-150-2024-CEMS-III, dated 19th July 2024 was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Prakash Narvare**, for non lodging the account of Election Expenses; and,

whereas, as per the Sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice dated 19th July 2027, **Prakash Narvare**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of Election Expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

whereas, the said notice was pasted at the resisdence given by the candidate on 30th July 2024. The Acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bhopal** vide its letter No. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024, dated 3rd September 2024; and

whereas, the District Election Officer, **Bhopal in his Supplementary Report dated 3rd September 2024** vide its letter 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024, **dated 3rd September 2024**; has reported that **Prakash Narvare**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that **Prakash Narvare**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Prakash Narvare**, resident of **24**, **Valmiki Nagar**, **Kabitpura**, **Bhopal**, a contesting candidate from 150-Bhopal Uttar Assembly Constituency, of the State of Madhya Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd./(BINOD KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन. अशोक रोड. नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 04 अक्टूबर, 2024—12 आश्विन, 1946 (शक)

आदेश

सं. 76-म.प्र.-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III.—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की 150-भोपाल उत्तर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2023 अधिसूचना नं. 15-विधि निर्वा.-चार-म.प्र.-वि.स.-2023, दिनांक 21 अक्टूबर 2023 के जरिए की गई थी.

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अध्यर्थी को, निर्वाचित अध्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है: और

यत:, 150-भोपाल उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय/निर्देश/2023-24/1032, दिनांक 25 जनवरी 2024 के जिरए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अशरफ अली, जो मध्यप्रदेश विधान सभा का साधारण निवाचन 2023 के निर्वाचन क्षेत्र 150-भोपाल उत्तर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए अशरफ अली को कारण बताओ नोटिस सं. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 19 जुलाई 2024 को जारी किया गया था; और,

यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 जुलाई 2024 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जिरए **अशरफ अली** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

्यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल द्वारा अपने पत्र सं. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024, दिनांक 03 सितम्बर 2024 के जिरए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नी तबस्मुम अली द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2024 को प्राप्त किया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल द्वारा दिनांक 03 सितम्बर 2024 के पत्र सं. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024 के जिरए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 03 सितम्बर 2024 में यह बताया गया है कि अशरफ अली ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि अशरफ अली, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और,

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:—

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है. दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निर्रार्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निर्रार्हित होगा.

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश राज्य के 150-भोपाल उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, अशरफ अली, 110, रंभा नगर, हुजूर, भोपाल को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निर्राहित है.

आदेश से.

हस्ता./-(बिनोद कुमार) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 04th October, 2024-12 Asvina, 1946 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-150-2024-CEMS-III.—whereas, the General Election to 150-Bhopal Uttar Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023 was announced by Notification No. 15 विधि निर्वा.—चार. म.प्र.-वि.स.-2023, dated 21st October 2023.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with **150-Bhopal Uttar** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 3rd December 2023. Hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2nd January, 2024; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Bhopal, Madhya Pradesh and forwarded by the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide their letter No. 10-क/चार/निर्वा.व्यय/निर्देश/2023-24/1032, dated 25th January 2024, Ashraf Ali, a contesting candidate from 150-Bhopal Uttar Assembly Constituency of Madhya Pradesh in General Election to Legislative Assembly 2023, has failed to lodge account of his Election Expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, **Bhopal**, Madhya Pradesh and the Deputy Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh a Show-Cause Notice, 76-MP-LA-150-2024-CEMS-III, dated 19th July 2024 was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ashraf Ali**, for nor lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the Sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice dated 19th July 2027, Ashraf Ali, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of Election Expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's wife Tabssum Ali on 30th July 2024. The Acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Bhopal** vide its letter No. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024, **dated 3rd September 2024**; and,

whereas, the District Election Officer, Bhopal in his Supplementary Report dated 3rd September 2024 vide its letter 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024, dated 3rd September 2024; has reported that Ashraf Ali, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Ashraf Ali, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Ashraf Ali,, resident of 110, Rambha Nagar, Huzur, Bhopal, a contesting candidate from 150-Bhopal Uttar Assembly Constituency, of the State of Madhya Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd./(BINOD KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 04 अक्टूबर, 2024—12 आश्विन, 1946 (शक)

आदेश

सं. 76-म.प्र.-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III.—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की 150-भोपाल उत्तर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2023 अधिसूचना नं. 15-विधि निर्वा.-चार-म.प्र.-वि.स.-2023, दिनांक 21 अक्टूबर 2023 के जरिए की गई थी.

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यत:, 150-भोपाल उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय/निर्देश/2023-24/1032, दिनांक 25 जनवरी 2024 के जिरए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार वसीम खान, जो मध्यप्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2023 के निर्वाचन क्षेत्र 150-भोपाल उत्तर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए वसीम खान को कारण बताओ नोटिस सं. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-150-2024-सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 19 जुलाई 2024 को जारी किया गया था; और,

यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 जुलाई 2024 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जिए वसीम खान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल द्वारा अपने पत्र सं. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024, दिनांक 03 सितम्बर 2024 के जिरए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2024 को प्राप्त किया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल द्वारा दिनांक 03 सितम्बर 2024 के पत्र सं. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024 के जिरए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 03 सितम्बर 2024 में यह बताया गया है कि वसीम खान ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि वसीम खान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और,

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:—

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है. दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निर्राहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निर्राहित होगा.

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश राज्य के 150-भोपाल उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, वसीम खान, 3, गली नं. 1 से 6, शारदा नगर, भोपाल को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरिहित है.

आदेश से,

हस्ता./-(बिनोद कुमार) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 04th October, 2024—12 Asvina, 1946 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-150-2024-CEMS-III.—whereas, the General Election to 150-Bhopal Uttar Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023 was announced by Notification No. 15 विधि निर्वा.-चार. म.प्र.-वि.स.-2023, dated 21st October 2023.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

whereas, the result of the said election along with **150-Bhopal Uttar** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 3rd December 2023. Hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2nd January, 2024; and,

whereas, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Bhopal, Madhya Pradesh and forwarded by the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide their letter No. 10-क/चार/निर्वा.व्यय/निर्देश/2023-24/1032, dated 25th January 2024, Waseem Khan, a contesting candidate from 150-Bhopal Uttar Assembly Constituency of Madhya Pradesh in General Election to Legislative Assembly 2023, has failed to lodge account of his Election Expenses, in the manner, as required under law; and,

whereas, on the basis of the reports of the District Election Office, **Bhopal**, Madhya Pradesh and the Deputy Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh a Show-Cause Notice, 76-MP-LA-150-2024-CEMS-III, dated 19th July 2024 was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Waseem Khan**, for non lodging the account of Election Expenses; and,

whereas, as per the Sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice dated 19th July 2027, Waseem Khan, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of Election Expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

whereas, the said notice was received by the candidate on 30th July 2024. The Acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Bhopal** vide its letter No. 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024 dated 3rd September 2024; and,

whereas, the District Election Officer, Bhopal in his Supplementary Report dated 3rd September 2024 vide its letter 3061/विधान सभा निर्वाचन-2023/2024, dated 3rd September 2024; has reported that Waseem Khan, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Waseem Khan, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Waseem Khan, resident of 3, Gali No. 1 to 6, Sharda Nagar, Bhopal, a contesting candidate from 150-Bhopal Uttar Assembly Constituency, of the State of Madhya Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd./(BINOD KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.